न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 111/2008 (223 आर. टी. एक्ट)

आरसीएमएस संख्या :– 2008/00069

उनवान

चक्कर पुत्र माधो जाति गूजर निवासी ग्राम मुगलपुरा मौजा रूधेरा तहसील बाडी जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. राजन विधवा गोपाल
2. मुकेश पुत्र गोपाल
3. उदय सिंह पुत्र गोपाल

जाति गूजर निवासी ग्राम मुगलपुरा मौजा रूधेरा तहसील बाडी जिला धौलपुर।

4. सोमवीर उम्र 14 साल
5. लवकुश उम्र 12 साल
6. भिक्की उम्र 8 साल
7. समलती उम्र 10 साल
8. सीमा उम्र 6 वर्ष
9. अन्नो उम्र 4 वर्ष

नाबालिग पुत्र/पुत्री गोपाल व सरपरस्ती मॉ राजन विधवा गोपाल जाति गूजर निवासी ग्राम मुगलपुरा मौजा रूधेरा तहसील बाडी जिला धौलपुर।

10. सीमा उम्र 19 साल पुत्री गोपाल जाति गूजर निवासी ग्राम मुगलपुरा मौजा रूधेरा तहसील बाडी जिला धौलपुर।
11. जगदीश पुत्र किलोल जाति गूजर निवासी ग्राम मुगलपुरा मौजा रूधेरा तहसील बाडी जिला धौलपुर
12. तहसीलदार, तहसील बाडी वहैसियत भू स्वामी ।

.....रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 का0 अ0 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखण्ड अधिकारी बाडी दि0 31.03.2008 प्र.सं. 16/2005 उनवानी चक्कर बनाम गोपाल।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री दिलीप शर्मा उपस्थित।
2. रैस्पो0 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक–13.06.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 31.03.2008 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट/वादी ने एक दावा बाबत् स्वत्व घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं दुरूस्ती इन्द्राज विरूद्ध रैस्पो0/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित

विवादित आराजी कुल किता 8 रकवा 05 बीघा 16 विस्वा वाके ग्राम मुगलपुरा मौजा रूधेरा तहसील बाडी के पूर्व खातेदार काश्तकार रैस्पो0/प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के पिता किलोल पुत्र भूरा जाति गूर्जर था। जिसका देहान्त हो चुका है तथा रैस्पो0/प्रतिवादीगण उसके एक मात्र वारिस व कायम मुकाम हैं। मृतक किलोल द्वारा विवादित आराजी संवत 2012 में अपीलाण्ट/वादी को विक्रय कर, विक्रयनामा 01 रूपया के विक्री स्टाम्प पर तहरीर व तकमील कराकर कब्जा सौंप दिया, तभी से अपीलाण्ट/वादी का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त है। रैस्पो0/प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है एवं ना ही उनका मौके पर कोई कब्जा काश्त है। अपीलाण्ट/वादी निरक्षर व कानूनी ज्ञान ना होने से विवादित आराजी का दाखिला खारिज नहीं करा पाया। इसी का फायदा उठाकर रैस्पो0/प्रतिवादीगण ने किलोल की मृत्यु के बाद अपने नाम विरासतन दाखिला खरिज खुलवा लिया। उक्त दाखिला खारिज की आड में रैस्पो0/प्रतिवादीगण, अपीलाण्ट/वादी को विवादित आराजी से बेदखल करने एवं अन्य दीगर व्यक्ति को रहन,वय, मुन्तकिल करने की धमकी देते हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर स्वत्व घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दी। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। रैस्पो0 बाबजूद सूचना अनुपस्थित हैं, उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने के कारण काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि विवादित आराजी को अपीलाण्ट ने उसके पूर्व खातेदार से जरिये विक्रयनामा क्रय किया था एवं उक्त विक्रय पत्र के आधार पर विवादित आराजी के पूर्व खातेदार का कानूनन स्वत्व समाप्त होने से अपीलाण्ट BY OPERATION OF LAW खातेदार हो चुका है। विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त है जिसे उन्होनें दस्तावेजी साक्ष्य से साबित किया है। रैस्पो0 का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है एवं ना ही उनका मौके पर कोई कब्जा काश्त है। अतः अपीलाण्ट को प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी खातेदारी अधिकारी सृजित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद में तनकियात कायम की गयी थी। किन्तु अपीलाधीन आदेश तनकीवार पारित नहीं किया गया है। इसलिए भी अपीलाधीन आदेश खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। यद्यपि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश तनकीवार पारित नहीं किया गया है, तथापि प्रत्येक मुद्दे को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विस्तार से समीक्षा की जाकर सकारण, विवेचनात्मक एवं बोलता हुआ आदेश पारित किया है। अपीलाधीन आदेश को और अधिक पुष्ट करने के लिए तनकीवार विवेचना निम्न प्रकार है :–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5. **तनकी संख्या 01 "आया वादी को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी के नाम खाता दुरूस्त किया जावें"** अपीलाण्ट/वादी द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर विवादित आराजी पर अपने अधिकारो की घोषणा चाही है। इसके लिए विधिवत विक्रय–पत्र पंजीकृत होना आवश्यक है। अपीलाण्ट/वादी द्वारा जो विक्रीनामा दिनांक 11.07.1955 पेश किया है, वह पंजीकृत नही है। पंजीकृत विक्रय पत्र के अभाव में अपीलाण्ट/वादी को कोई अधिकार सृजित नहीं होते हैं। जहॉ तक प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार सृजन का प्रश्न है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अंतर्गत प्रतिकूल कब्जे से खातेदारी अधिकार सृजित होने का कोई प्रावधान नहीं है। आर.बी.जे. 2011 पेज 387 में माननीय राजस्व मण्डल (वृह्द पीठ) ने यही सिद्धांत प्रतिपादित किया है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलाण्ट/वादी को विवादित आराजी में कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। अतः तनकी वहक रैस्पो0 विरूद्ध अपीलाण्ट है।

6. **तनकी संख्या 02 "आया प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें"** तनकी संख्या 01 की विवेचना में अपीलाण्ट/वादी के विवादित आराजी में कोई स्वत्व/अधिकार नहीं पाये गये हैं तो विवादग्रस्त आराजी बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं बनता। अतः तनकी वहक रैस्पो0 विरूद्ध अपीलाण्ट तय की जाती है।

7. **तनकी संख्या 03 व 04,** तनकी संख्या 01 व 02 पर आधारित हैं। चूंकि तनकी संख्या 01 व 02 खिलाफ वादी निर्णित हुई हैं अतः उक्त तनकियों की विवेचना प्रासंगिक नहीं है।

8. उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलाण्ट/वादी अपने वाद पत्र को सिद्ध करने में पूर्णतः असफल रहे हैं। लिहाजा हम अपील अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

9. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 31.03.2008 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

10. निर्णय आज दिनांक 13.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official